

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के उनके नाम के सामने अंकित क्र. संख्या-03 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान राउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	संगीता ललवानी, व्या. इतिहास राउमावि, रिया सेठो की पीपाड शहर, जोधपुर	माह जनवरी 2021	राउमावि रिया सेठो की पीपाड शहर, जोधपुर में व्याख्याता अग्रेजी के पद विरुद्ध
2	गजेन्द्र सिंह राठौड़, व्या. इतिहास, रावाउमावि शिवाजी नगर जयपुर	माह जून 2021 से अगस्त 2021	राउमावि भांगादित -अजमेर में व्याख्याता इतिहास के पद विरुद्ध
3	रघुवीर सिंह शेखावत, व्या.इतिहास, ललासरी-नागौर	माह जुलाई 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि ललासरी-नागौर में व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बंधित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/2020

दिनांक- 16/8/21

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित शाखा/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रवली

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं (राजनीति विज्ञान) का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
01	02	03	04
1.	जावेद जमाल शेख पीपला, फागी, जयपुर	फरवरी 2021 से मार्च 2021 तक	राउमावि पीपला, फागी, जयपुर में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद से।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक- 10/08/2021

- क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/वेतन व्यवस्था/2021/
प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ :-
1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा.....।
 3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
 4. संबंधित प्रधानाचार्य
 5. संबंधित कार्मिक.....।
 6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर